# कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
## इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक– 1829 /FP/UK/ROAD/10497/2015:देहरादून:दिनांक: 17 जनवरी, 2017

सेवा में,

1. अधिशासी अभियन्ता,
   प्रान्तीय खण्ड, लो0 नि0 वि0,
   रूद्रप्रयाग।
2. प्रभागीय वनाधिकारी,
   रूद्रप्रयाग वन प्रभाग,
   रूद्रप्रयाग।

विषयः– जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत पंयाताल–त्यूंखर–चिरबटिया–लस्या मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.40 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रूद्रप्रयाग का पत्रांक 5006/16सी0 दिनांक 30–12–2016.

महोदय,

विषयांकित मोटर मार्ग का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। प्रस्ताव का परीक्षण करने पर कतिपय कमियाँ पायी गयी, जो निम्नानुसार हैं :–

1. प्रस्ताव पंयाताल–त्यूंखर–चिरबटिया–लस्या मोटर मार्ग के नाम से प्रेषित किया गया है। परन्तु प्रस्ताव पर जी0ओ0–रिफरेन्स मैप मयाली–थापली मोटर मार्ग का संलग्न किया गया है। स्थिति स्पष्ट करें।
2. डिजिटल मानचित्र में Starting Point and Ending Point स्थल का नाम अंकित किया जाय।
3. भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक 200 मी0 पर Latitude & Longitude अंकित किया जाय।
4. डिजिटल मानचित्र में वैकल्पिक समरेखण Latitude & Longitude सहित अंकित किया जाय।
5. मार्ग जहाँ से आरम्भ हो रहा है उससे पूर्व निर्मित मार्ग का नाम दर्शाया जाय एवं भारत सरकार की स्वीकृति संलग्न करें।
6. प्रस्तावित मार्ग आरक्षित वन भूमि से शुरू होकर आरक्षित वन भूमि पर ही समाप्त हो रहा है। ऐसे प्रकरणों में भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान नहीं की जा रही है, अतः सही समरेखण का चयन किया जाय।
7. वन अधिकार अधिनियम, 2006 प्रमाण–पत्र मात्र 01 गांव का ही संलग्न है, जबकि प्रस्ताव के अनुसार 05 ग्राम लाभान्वित होने का उल्लेख है। सभी ग्राम सभाओं का अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न करें। ग्राम सभा उपस्थिति पत्र में दिनांक 10–01–2015 का उल्लेख है, जबकि प्रमाण–पत्र में दिनांक 26–11–2014 का उल्लेख है। अतः उक्त विरोधाभाष को सही कर प्रस्तावित मोटर मार्ग हेतु निर्गत प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
8. प्रस्ताव में उपजिलाधिकारी द्वारा निर्गत वन अधिकार अधिनियम, 2006 प्रमाण–पत्र छाया प्रति में संलग्न किया गया है। मूल प्रति में संलग्न करें। उक्त प्रमाण–पत्र में परियोजना का क्षेत्रफल कहीं पर 1.4 है0 एवं कहीं पर 0.910 है0 का उल्लेख है। अतः उक्त विरोधाभाष को सही किया जाय।
9. क्षतिपूरक वृक्षारोपण गुगल मानचित्र के स्थान पर भारत सरकार के निर्देशानुसार जी0ओ0 रिफरेन्स मैप में बनाकर पोलिगन के रूप में चारों कोनो के Latitude & Longitude सहित .shp file में DSS से मिलान कर संलग्न किया जाय। मानचित्र पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर भी अपेक्षित है
10. प्रस्ताव के अनुसार मार्ग धनौली तक बनाया जाना है। प्रस्ताव की वित्तीय स्वीकृति के अनुसार प्रस्ताव प्रेषित किया जाय अन्यथा संशोधित वित्तीय स्वीकृति संलग्न करें।
11. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र–1 में परियोजना के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है।
12. प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र–2 में मार्ग निर्माण हेतु दो सरेखण उपलब्ध होने का उल्लेख है, जबकि मानचित्र में एक ही समरेखण दर्शाया गया है। अन्य वैकल्पिक समरेखण को दर्शाते हुये उसके निरस्त करने के कारणों का भी उल्लेख किया जाय।
13. वन संरक्षक द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र–3 को प्रस्ताव में संलग्न करें।
14. संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट में राजस्व विभाग एवं अन्य ग्राम सभा के प्रतिनिधि की उपस्थिति का उल्लेख नहीं है। स्थिति स्पष्ट की जाय।
15. प्रस्तावित समरेखण से वृक्ष अधिक प्रभावित हो रहे है। अन्य समरेखण का चयन किया जाय एवं वृक्षों का वैज्ञानिक नाम भी अंकित करें।
16. एस0आई0आर0 में तिथि अंकित की जाय।
17. मानचित्र पर मलवा निस्तारण आरक्षित वन भूमि में है, किन्तु मलवा निस्तारण प्रमाण–पत्र नाप भूमि पर दो व्यक्तियों का संलग्न किया गया है।
18. प्रस्तावित स्थल के राष्ट्रीय पार्क से हवाई दूरी का प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
19. लेआउट प्लान मदवार विवरण में मार्ग निर्माण कि0मी0 3.00 के अन्तिम बिन्दु से प्रारम्भ होने का उल्लेख है, जबकि संयुक्त निरीक्षण में मार्ग निर्माण कि0मी0 2.00 से आरम्भ होना अंकित है। वित्तीय स्वीकृति रू0 73.50 लाख की है, जबकि प्रमाण–पत्र में रू0 25.20 लाख का उल्लेख है। विरोधाभाष सही किया जाय।
20. एन0पी0वी0 आंकलन सही प्रतीत नहीं होता है।
21. प्रस्ताव में छायाप्रति के स्थान पर मूल प्रति संलग्न की जाय।
22. मक डिस्पोजल मानचित्र जी0ओ0 रिफरेन्स मैप में बनाकर संलग्न करें।
23. फ्लूड एवं ओवर राइटिंग प्रमाण–पत्रों को भारत सरकार द्वारा मान्य नहीं है।

भवदीय,

(विनोद कुमार)